

No. 1/95/2018-E.III/४४५- ४७,
Government of India
Central Water Commission

3rd floor,, Sewa Bhawan,
R.K. Puram, New Delhi-110 066
Dated, the 16 Dec., 2020

ORDER

In accordance with Ministry of Finance (Department of Expenditure) O.M. No.F.15(3)/78-WIP.,dated 31.10.80,sanction is hereby accorded to the payment of Rs.55190/- (Rupees Fifty five thousand one hundred ninety only) to Sh.Ram Kishun,Assistnat Executive Engineer,who retired form service on 31/3/2020 to,wards the full and final payment due under saving component (including interst) of subscription to Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980.

Sh. Ram Kishun Assistnat Executive Engineer,was a member of CGEGIS,1980 w.e.f.1.1.87. Subscription for the scheme was recovered from him as per record in service book from 1.1.1987. to 31.12.89. @ Rs.20/-p.m., from 1.1.1990. to 31.12.2010 @ Rs.30/- p.m., from 1.1.2011. to 31.12.2018 @ Rs.60/- p.m. & from 1.1.2019 to 31.3.2020. @ Rs. 120/-

The above amount is chargeable to : 8011- Insurance and pension funds.
CGEGIS-1980(Minor Head),Insurance Fund(Sub Head) .

↑
UD
(SACHIN DEV VARMA)
UNDER SECRETARY
TEL.011-29583319

TO

Pay & Accounts Office,CWC,New Delhi.

o/c
R.E.I
16/12/20

Copy to:-

1. Executive Engineer, Middle Ganga Dividion -I,CWC,Lucknow.
2. Sh. Ram Kishun,A EE, Middle Ganga Dividion -I, CWC,Lucknow-
(Retd) through CWC website.

सं० 1/95/2018-स्था० तीन/668-70.

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

तीसरी मंजिल, सेवा भवन
राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली-66
दिनांक 18, 12, 2020

सेवा में

वेतन एवं लेखा अधिकारी,
केन्द्रीय जल आयोग,
नई दिल्ली ।

आदेश

श्री राम किशुन, सहा० निदे०, दिनांक 31/03/2020 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो गये हैं। सेवानिवृत्ति की तिथि को उनके खाते में 280 दिनों का अर्जित अवकाश एवं 20 दिन का अर्धवेतन अवकाश शेष है ।

केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 39 (2) के अनुसरण में श्री राम किशुन सहायक निदेशक को 300 दिन के उपलब्ध अवकाश (280 अर्जित, एवं 20 अर्धवेतन) एवज में रु० 9,60,219/- (रु० नौ लाख साठ हजार दो सौ उन्नीस रुपये केवल) की नकद अदायगी करने के आदेश एतद् द्वारा किये जाते हैं। सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात् 31/03/2020 को श्री राम किशुन 84900/-रु० मूल वेतन के रूप में प्राप्त कर रहे थे ।

यह खर्च मुख्य शीर्ष 2071-Retirement & Pensionary Benefits, 01-Civil-167- Leave Encashment Benefits हेड के अंतर्गत व्यय होगा ।

संलग्न : सेवा पुस्तिका (क्रम संख्या-1)

प्रतिलिपि :-

(सचिन देव वर्मा)
अवर सचिव

क. प्र. ६

- 1 अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा मंडल -1 के० ज० आ०, लखनउ -226024 (2 प्रति) ।
(बिल मूल रूप में सीधे PAO को भिजवाएं)
- 2 श्री राम किशुन, सहा० निदे० अभि०, मध्य गंगा मंडल -1 के० ज० आ०, लखनउ, (सेवानिवृत्त)